Regarding need to include Magahi language in the Eighth Schedule to the Constitution-laid

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मगही बोलने वाले चार करोड़ से अधिक लोग पचास साठ साल से अपनी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल करने की बाट जोह रहे हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद, अरवल एवं बिहार के अन्य जिले पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, लखीसराय के अलावे झारखंड के 20 जिलों के करीब 4 करोड़ लोगों की भाषा मगही है । मगही भाषा का इतिहास बहुत पुराना है । मगही संस्कृति बिहार राज्य की एक पहचान है जो अपनी ऐतिहासिक श्रेष्ठता द्वारा बिहार के वैभव में सदैव वृद्धि करती रही है । मगही को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए अनगिनत प्रयास हुए हैं । मेरे कई सांसद साथियों ने भी यह मांग दोहराई है । संविधान की आठवी अनुसूची में मगही के शामिल नहीं होने से यूपीएससी, बीपीएससी सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं में शामिल होने की इजाजत नहीं होने से इस भाषा की कराई जा रही पढ़ाई से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है । अत: मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि व्यापक जनहित में मगही भाषा को भारत के सविंधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें ताकि बिहार के वैभव में वृद्धि जारी रहे ।